

पृष्ठ संख्या

कार्यवाही नं० 111/10-11

कार्यवाही के बारे में
दिनांक की तारीख के साथ

उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला-खरसावाँ
आदेश

20.09.2011

टी0ए0मिस केस नं०-111/10-11

महेश्वरी सिंह सरदारिन पति कार्तिक सिंह पिता लाल सिंह सरदार, ग्राम आसनबनी, टोला-फंदलो गोडा, थाना-चाण्डिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निम्नलिखित जमीन को मेसर्स कृतिका इन्टरप्राइजेज, पता-जम्बु वगान, बड़ा हनुमान मंदिर, भालुबासा चौक, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को कम्पनी स्थापना हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत बेचने हेतु अनुमति देने के लिए प्रार्थना किया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
आसनबनी	325	354	1865	0.71.50 ए०
		354	2024	0.11.00 ए०
कुल रकबा				0.82.50 ए०

अंचल अधिकारी, चाण्डिल से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। आम सूचना का तामिला प्राप्त हुआ। किसी ने आवेदित जमीन की बिक्री पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। अंचल अधिकारी ने आवेदित भूमि पर विक्रेता का स्वत्व एवं कब्जा प्रतिवेदित किया है।

इस भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के मांग पर्याप्त भूमि बच जाती है।

मेसर्स कृतिका इन्टरप्राइजेज द्वारा Manufacturing Unit of Steel Wire & Nails के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक किया है। प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तत्संबंधी परियोजना लघु उद्योग की श्रेणी में आता है।

आवेदक को सुना। आवेदक भूमि के मूल्य से संतुष्ट हैं। आवेदक ने बताया कि वह राजी-खुशी से अपने और अपने परिवार के लाभ के लिये भूमि बिक्री करना चाहता है। आवेदक या उसके वारिश को योग्यता एवं अनुभव के अनुसार नौकरी देने के लिए कम्पनी तैयार हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
आसनबनी	325	354	1865	0.71.50 ए०
		354	2024	0.11.00 ए०
कुल रकबा				0.82.50 ए०

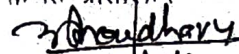
जमीन मेसर्स कृतीका इन्टरप्राइजेज, पता-जम्बु बगान, बड़ा हनुमान
मंदिर, भालुबासा चौक, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के साथ छोटानागपुर कारतकारी
अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण अनुमति निम्नशर्तों के साथ
दी जाती है :-

1. भू-धारी के साथ हुये समझौता के अनुसार 1 वर्तमान बाजार मूल्य पर भूमि मूल्य का भुगतान करना होगा।
2. भूमि का उपयोग उद्योग के लिये ही किया जायेगा।
3. भू-धारी एवं कम्पनी के बीच हुये समझौता के अनुरूप या कम से कम भू-धारी एवं अन्य अंशधारी के परिवार के एक सदस्य को योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप कम्पनी में नौकरी देना अनिवार्य होगा।
4. उद्योग के लिए किये गये जमीन से सम्बन्धित आदिवासी परिवार एवं उन्ना गोंव के नागरिकों के सम्यक् विकास खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल के स्तर को सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने हेतु कम्पनी को सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना अनिवार्य होगा।
5. क्रेता को आदिवासी परिवारों के कल्याण हेतु कार्य करना तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखना अनिवार्य होगा।



उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ

सचिव अभिप्रायित प्रतिनिधि



29/9/11

प्रधान महोदय

जम्बुनाथ कार्यालय

सरायकेला

अधिनियम 1872 के अन्तर्गत
के अधिनियमित

रा 76